न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बाबूलाल कोठारी

आई.ए.एस.

सायल	बनाम	गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये नमिता नारवाल प्रवर्तन निरीक्षक जालोर	बनाम	श्री घेवाराम पुत्र श्री भोमाराम जाति घांसी निवासी बागरा तहसील जालोर मालिक- महादेव नाश्ता सेटंर मैन बस स्टेण्ड बागरा तहसील जालोर
प्रकरण संख्या		12/2018

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

पक्षकारान :-

1.प्रवर्तन निरीक्षक जालोर

2.गैर सायल स्वंय उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.04.2018

1. सायल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल से जप्त शुदा 2 घरेलू सिलेण्डर मय गैस को ई.सी. एक्ट के तहत राजसात (Confiscate) करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी किया गया, गैर सायल स्वंय उपस्थित होकर जवाब पेश किया तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई

3. प्रवर्तन निरीक्षक, जालोर ने अपनी बहस में तर्क दिया कि मेरे बहमराह प्रवर्तन अधिकारी जालोर द्वारा दिनांक 17.4.2018 को ग्राम बागरा तहसील जालोर स्थित फर्म महादेव नाश्ता सेटंर मैन बस स्टेण्ड बागरा के मालिक घेवाराम के रूबरू मौत बिरान की मौजूदगी में व्यवसाय स्थल के निरीक्षण/तलाशी के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (2) के वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 किलोग्राम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्षमता वाले) बीपीसीएल कम्पनी के भारत गैस मार्का के फर्द निरीक्षण एवं अभिग्रहण में वर्णित अनुसार 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एस.आर. नम्बर 20055-बी व 0356620-एस वस्तु इडली एवं दाल बनाते हुए पाया गया। निरीक्षण पर वक्त जांच उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों में एलपीजी गैस की मात्रा फर्द निरीक्षण एवं अभिग्रहण में वर्णित अनुसार भरी हुई पाई। फर्म/दुकान मालिक/कार्यकर्ता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डरों की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नही करके भिन्न कार्यो (वाणिज्य उपयोग)हेतु अवैध रूप से उपयोग किया है। अत: मौके पर प्रतिष्ठान/फर्म मालिक व कार्यकर्ता द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख) एवं (ग) एवं 7 (ग) का उल्लंघन करने से उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी गैस, आदेश के खण्ड 13 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिग्रहण किया गया।अभिग्रहण शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को सुपुर्दगीनामा पर प्रोपराईटर जालोर गैस सर्विस जालोर को सुपुर्द किये गये है।

अत: आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत अभिग्रहण शुदा भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से राजसात कराने का श्रम करावें।

4. गैर सायल ने तर्क दिया कि वक्त चैकिंग व्यवसायिक स्थल पर व्यवसायिक गैस की टंकी खाली हो जाने पर गलती से भूलवश घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया गया है। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं की जावेगी। अपनी स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूं। उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता। अत: की गई कार्यवाही ड्रॅाप की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासे में वर्णित तथ्यो के अनुसार गैर सायल के पास से भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अवैध रूप से संग्रहण कर व्यवसायिक उपयोग के कारण जप्त किया गया हैं। गैर सायल के पास कोई वैद्य लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000" के खण्ड 3 (1) (ख) व (ग) का स्पष्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया है।यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अत: सायल का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा जप्त किया गये भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जप्त शुदा भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्त किए गए भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करे।

(बाबूलाल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर